NO/AFRC/216
Dt 30/7/2022

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर

प्रभारी अधिकारी
विश्वविद्यालय बेवसाइट
एरिस सैल

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र पर लगे पॉपलर 1463 के वृक्षों की बिक्री के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाना है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)।

विज्ञापन का प्रारूप

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

वृक्षों की बिक्री हेतु निविदा बिक्री की सूचना

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर में पॉपलर के वृक्षों की बिक्री हेतु दिनांक 24.08.2022,सांय 5:00 बजे तक ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0सं0	विभाग	वृक्ष प्रजाति एवं संख्या
1.	कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर	**पॉपलर 1463**

उपरोक्त का पूर्ण विवरण एवं बिक्री/ निविदा की शर्तों हेतु कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र के कार्यालय में दिनांक 02.08.2022 प्रातः 09:00 बजे से दिनांक 20.08.2022 सांय 05:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में ₹ 3600.00 (सभी कर सहित) प्रति निविदा (नान रिफन्डेबल) के भुगतान दर पर प्राप्त किया जा सकता है।

~~सह~~ निदेशक
कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~सह~~ निदेशक
कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र

संलग्नः उपरोक्तानुसार

कार्यालय, सह निदेशक, कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांक/...............   दिनांकः ....

वृक्षों की बिक्री हेतु निविदा/नीलामी की सूचना

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर में लगे वृक्षों की बिक्री हेतु दिनांक 24.08.2022 सायं 05 बजे तक ठेकेदारों/फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, निविदाएं सह निदेशक, कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर के कार्यालय में दिनांक 25.08.2022 समय प्रातः 11.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी तथा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की निविदाएं स्वीकार की जायेगी जो **₹50,000.00** बैंक ड्राफ्ट और **प्रस्तुत निविदा राशि के दस प्रतिशत सुरक्षा धनराशि के** बैंक ड्राफ्ट के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा की गयी होगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व ठेकेदार वृक्षों का भलीभाँत निरीक्षण कर लें। बिक्री हेतु पापलर कुल वृक्षों की सख्या निम्नवत् है।

क्र0 सं0	वृक्षों का विवरण एवं संख्या
1.	पॉपलर 1463

निविदा प्रपत्र शर्तों सहित सह निदेशक, कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर के कार्यालय में **₹ 3,600.00 (अट्ठारह प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)** प्रति निविदा (नान रिफन्डेबल) नगद जमा कर दिनांक 20.08.2022, सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकतें है।

निविदा की शर्तें

1. किसी भी दशा में निविदा आंकलित मूल्यांकन मूल्य से कम पर विक्रय नहीं की जायेगी।
2. किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति जी को निहित है।
3. निविदापेटी निविदा से तीन दिन पूर्व प्रातः नौं बजे के बाद सील करके अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में रख दी जायेगी, इच्छुक निविदादाता समय से आकर निविदापेटी सील करवा सकते है, अगर कोई निविदादाता समय से नहीं आता है तो विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में निविदापेटी सील कर दी जायेगी
4. वृक्षों की लकड़ी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तरादायित्व नही होगा। अतः निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने से पूर्व वह मौके पर स्वयं वृक्षों का निरीक्षण कर लें। बिक्री स्वीकृत होने के उपरान्त लकड़ी में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने पर कोई शिकायत मान्य नही होगी।
5. निविदा में भाग लेने हेतु क्रेताओ को धरोहर राशि के रूप में ₹ 50,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो नियंत्रक, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नाम जो भारतीय स्टेट बैक/पंजाब नेशनल बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में भुनाया जा सकें, निविदा प्रपत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा में भाग लेने हेतु क्रेताओ को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में ₹ 50,000.00 का बैंक ड्राफ्ट और प्रस्तुत निविदा राशि के दस प्रतिशत सुरक्षा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। जिस पर कोई भी ब्याज देय नही होगा।
7. निविदा के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट और सुरक्षा धनराशि के ड्राफ्ट के जमा न करने पर ऐसे निविदादाता (ओं) को अपात्र निविदादाता माना जायेगा और इन निविदादाता (ओं) के द्वारा जो भी बैंक ड्राफ्ट या सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया होगा, उसको भी जब्त कर लिया जायेगा।
8. निविदा कमेटी पात्र निविदादाओं में से उच्चतम् प्रस्तुत निविदा राशि वाले पात्र निविदादाता को निविदा क्रय करने का अवसर देगी। उसको उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि का बीस प्रतिशत चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/डिजिटल माध्यम से निविदा कमेटी के समक्ष तुरंत जमा करना होगा।
9. उच्चतम् प्रस्तुत निविदा राशि वाले पात्र निविदादाता के निविदा क्रय करने में असफल होनें पर नीचे वाले दूसरे उच्चतम् पात्र निविदादाता जिनके द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि का अन्तर, उससे उच्च पात्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि से पांच प्रतिशत से कम है, को निविदा कमेटी निविदा क्रय करने का अवसर देगी।
10. इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें या जहां तक पात्र निविदादाता (ओं) में प्रस्तुत निविदा राशि में परस्पर अंतर पांच प्रतिशत से कम है और आंकलित मूल्यांकन मूल्य से ऊपर हो सबको निविदा कमेटी सफल क्रेता मिलने तक अवसर देगी।
11. सफल क्रेता से ऊपर के सभी असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्टों और सुरक्षा धनराशि के बैंक ड्राफ्टों को भी जब्त कर लिया जायेगा।

12. सफल निविदादाता के नीचे शेष सभी पात्र निविदादाता की जमा धरोहर राशि रू0 50,000.00 का बैंक ड्राफ्ट तथा प्रस्तुत निविदा राशि का दस प्रतिशत सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट निविदा खोले जाने की कार्यवाही समाप्त होने के अगले तीन कार्य दिवसों के अन्दर लौटा दिया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को निविदा खोले जाने की कार्यवाही की तिथि से सात कार्य दिवसों के अन्दर प्रस्तुत निविदा राशि का बीस प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में जमा चैंक को ड्राफ्ट/एनईएफटी/डिजिटल माध्यम से भुगतान कर वापस प्राप्त करना होगा। किसी भी दशा में चैक के बांउस होने पर चैक दाता के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
14. सक्षम अधिकारी के निविदा स्वीकृति के उपरांत निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर सफल क्रेता को प्रस्तुत निविदा राशि का चालीस प्रतिशत चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/डिजिटल माध्यम से जमा करना होगा, यदि सफल निविदादाता निविदा राशि का चालीस प्रतिशत जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ₹ 50,000.00, निविदा राशि की दस प्रतिशत सुरक्षा धनराशि तथा निविदा राशि की बीस प्रतिशत अग्रिम धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
15. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से पंद्रह के अंदर सफल क्रेता को अपने खर्च पर रू0 100.00 का नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना होगा। जिसकी संविदा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जायेगी।
16. वृक्षों की कटाई से पूर्व क्रेता को प्रस्तुत निविदा राशि का शेष चालीस प्रतिशत चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/डिजिटल माध्यम से जमा करना होगा। जिसमें पूर्व में जमा ₹ 50,000.00 धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।
17. क्रेता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा जो कि पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र को विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग में जमा करवाने के उपरांत ही बनाया जायेगा।
18. कार्य प्रारम्भ से अन्तिम निकासी के दिनांक तक क्रेता एवं उसके सभी कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय अथवा केन्द्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
19. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि/वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के एक माह के भीतर वृक्षों का क्रमवार कटान और जड़ों का खुदाई कर भूमि को समतल करना आवश्यक होगा, अन्यथा दूसरे माह से ₹ 100.00 प्रतिदिन की दर से दण्ड का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त एक माह के पश्चात् भी यदि भूमि को समतल नहीं किया जाता है तो क्रेता द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
20. सीमा दीवार के नजदीक लगे हुये वृक्षों को सावधानी से काटना होगा। जिससे की सीमा दीवार को किसी तरह का नुकसान न हो। यदि सीमा दीवार को नुकसान होता है तो क्रेता के द्वारा उसे स्वतः ही ठीक कराना होगा। विद्युत लाइनों, आवासों एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
21. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
22. माल की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी से परमिट लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क आदि की धनराशि क्रेता का स्वंय जमा करनी होगीं।
23. प्रत्येक प्रजाति के वृक्षों से जहां आवश्यक हो वहां 4 इंच चौड़ा गोल सैम्पल आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।
24. क्रेता को उपरोक्त सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंधन की दशा में क्रेता द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त करते हुये निविदा को रद्द कर दी जायेगी।
25. निविदा/ठेके के संबंध में किसी भी विवाद का निस्तारण एकल पंचाट (Sole Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। एंव उसकी सुनवाई कुलपति महोदय अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा कुलपति जी का निर्णय अन्तिम एंव दोनो पक्षों का मान्य होगा।
26. ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि कार्य के सन्तोषजनक समाप्ति होने पर नियमानुसार वापस कर दी जायेगीं।

सह निदेशक
कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र